

शीर्षक

शंकरसिंह पुत्र बालुसिंह राजपूत निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. मानसिंह पुत्र बालुसिंह राजपूत
2. प्रकाश कंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत
3. महावीरसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत
4. कमलसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत

सर्व निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति—

अधिवक्ता प्रार्थीगण:— श्री संतोष कुमार पारीक

विपक्षीगण:— संख्या 01 से 03 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:—28.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम महेन्द्रगढ़ पटवार हल्का महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2424 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.35 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 628 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 04 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम महेन्द्रगढ़ पटवार हल्का महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2424 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.35 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 628 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिशनर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्वन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को तहसील जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापूर जिला भीलवाड़ा